निर्णय बईजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 59 / 2021

तारीख दायरा 28.06.2021

उनवान

कान्तिबाई पुत्री रत्तीराम जाति माली निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। —वादी

बनाम

1. लटूरलाल पुत्र श्री गोपाललाल जाति माली निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद,
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद जिला कोटा। — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण) दिनांक :— 22.10.2021

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील प्रतिवादीगण)

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीनी, वादीनी की बहिन बादामबाई व वादीनी की माता श्रीमती रामीबाई के खाते एवं कब्जेकाश्त की साबिक खसरा नंबर 1497 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा आराजी वाके ग्राम सांगोद तहसील सांगोद में सांगोद—जोलपा रोड के समीप स्थित रही है। वादीनी ने व वादीनी की बहिन व माता कमशः बादामबाई, रामीबाई द्वारा उक्त आराजी खसरा नंबर 1497 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा आराजी में से जोलपा रोड के तरफ की अर्थात् पूरब दिशा की 12 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 10.02.1993 से प्रतिवादी कं. 1 को विकय कर मौके पर सम्भला दी थी। बाद विकय मि0 खसरा नंबर 1497 की 12 बिस्वा भूमि प्रतिवादी कं. 1 के खाते दर्ज हुई व मि0 खसरा नंबर 1497 की 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि यथावत रही जो वादीनी को प्राप्त हुई।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

इस प्रकार से बैनामे की पालना में जमाबन्दी में तो सही अमल कर दिया गया किन्तु तत्कालीन प्रचलित नक्शा लट्ठा में बेचान के मुताबिक तरमीम नहीं की तथा खसरा नंबर 1497 का नक्शा आगामी सेटलमेंट तक एक ही चक के रूप में अंकित चलता रहा। मुताबिक राजस्व रिकार्ड मि0 खसरा नंबर 1497 की 2 बीघा 11 बिस्वा पश्चिमी आराजी का उपयोग–उपभोग, काश्त बदस्तूर वादीनी एवं मि0 खसरा नंबर 1497 की 12 बिस्वा पूर्वी आराजी का प्रतिवादी क. 1 उपयोग–उपभोग व काश्त बदस्तूर करते रहे हैं किन्तु सेटलमेंट संवत् 2058 के दौरान सेटलमेंट विभाग द्वारा वादीनी की आराजी साबिक मि0 खसरा नंबर 1497 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के नये खसरा नंबर 1945 रकबा 0.41 हैक्टर एवं प्रतिवादी क. 1 की आराजी मि0 खसरा नंबर 1497 रकबा 12 बिस्वा के नये खसरा नंबर 1945/2730 रकबा 0.10 हैक्टर कायम कर दिये तथा नवीन नक्शा सन् 1998–99 में वादीनी की आराजी नये खसरा नंबर 1945 को मौके के कब्जेकाश्त के वास्तविक स्थल पश्चिम की बजाय त्रुटिपूर्वक उत्तर दिशा में अंकित कर दिया तथा इसी प्रकार प्रतिवादी क. 1 की आराजी नये खसरा नंबर 1945/2730 को मौके के कब्जेकाश्त के वास्तविक स्थल पूरब की बजाय त्रुटिपूर्वक दक्षिण दिशा में अंकित कर दिया जबकि सेटलमेंट विभाग को नवीन नक्शे में उक्त त्रुटि कारित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था।

उक्त त्रुटि का इल्म वादीनी को गत सप्ताह पटवारी हलका द्वारा बताने पर प्रथम बार हुआ। कानूनन सेटलमेंट विभाग द्वारा नवीन राजस्व नक्शे में किया गया उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन वादीनी के हक, हितों व का तकारी अधिकारों के विपरीत प्रारम्भ से ही नल एण्ड वोईड होकर बेअसर है किन्तु उक्त राजस्व त्रुटि के कारण वादीनी को अपनी आराजी में कृषि विकास कार्य करवाने में काफी परेशानी होती है। ऐसी सूरत में उक्त राजस्व त्रुटि के इन्द्राज को न्यायहित में पुनः दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यदि उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राजात को दुरूस्त नहीं किया जाता है तो वादीनी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। लिहाजा यह दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती माननीय न्यायालय में तैयार करते वक्त वादग्रस्त आराजी का नवीन नक्शा निम्न प्रकार तैयार करना चाहिये था :–

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

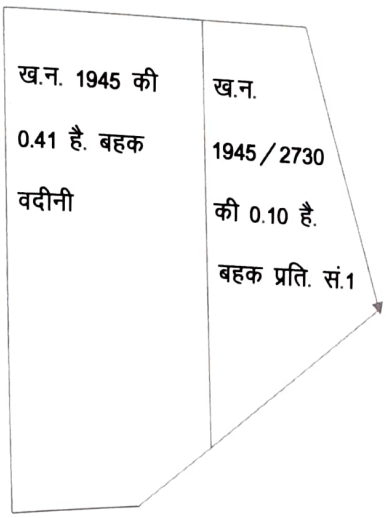

अन्त में वादीनी ने वाद में अनुतोश चाहा कि माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 1945 एवं खसरा नंबर 1945/2730 को प्रचलित राजस्व नक्शे में दुरूस्त फरमाया जावें तथा प्रस्तावित नक्शानुसार वादीनी व प्रतिवादी कं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री दिनेश कुमार गौतम ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब सरकार अप्राप्त होने के कारण जवाब सरकार बंद किया जाता है। उभयपक्षकारान द्वारा बहस की गई। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, इकबाली जवाब दावा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के खसरा नंबर 1945 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नंबर 1945/2730 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 0.51 हैक्टर एकचक आराजी में से 0.41 हैक्टर पश्चिमी भूमि का वादीनी को एवं 0.10 हैक्टर पूर्वी भूमि का प्रतिवादी कं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुकम मे राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

(अंजना सहसावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहसावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद